मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
वल्लभ भवन, भोपाल--462004

PA/प्रमुख/स्क्रीनिंग/ 6239
10/10/2018

आदेश

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर, 2018

क्रमांक एफ. 19-38/2018/1/4 : : राज्य शासन एतद्द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के ज्ञापन क्रमांक 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2018 दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों का परीक्षण/अनुशंसा करने हेतु निम्नानुसार स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

(1)	मुख्य सचिव,	अध्यक्ष
(2)	अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, (प्रस्ताव प्रेषित करने वाला विभाग)	सदस्य

2. **अब कोई भी विभाग विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में जारी आचार संहिता के दौरान :-**

(1) अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण/अनुशंसा के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं करेगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/स्पष्टीकरण का पर्याप्त अध्ययन व उसके अनुसार परीक्षण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के सुसंगत निर्देशों/आदेशों का हवाला देते हुए उसे संदर्भित करेगा।

(3) प्रशासकीय विभाग को अपने प्रस्ताव में यह औचित्य भी दर्शाना होगा कि प्रस्ताव क्यों अत्यन्त महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता है ?

(4) भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाने वाला प्रस्ताव स्वयं स्पष्ट टीप (Self Conteined) के रूप में भेजा जाएगा न कि नस्ती के रूप में।

समन्वय कक्ष

15 OCT 2018

..2

(5) प्रस्ताव भेजने के पूर्व भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय में लगने वाले संभावित समय का विशेष ध्यान रखा जाए।

(6) प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएगे।

(7) जो प्रस्ताव उक्त मापदंडों की पूर्ति करते हुए नहीं होंगे उन्हें लौटा दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(कमल नागर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ. 19–38/2018/1/4 भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उनके पत्र क्रमांक पीए/अपर मुनिप/(जे)/2018/2146, दिनांक 25.09.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. उप संचालक, जन संपर्क, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16.10.18

पृ.कमांक/समन्वय/सी/2018/216

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक आर.एम.एस.ए.लोक शिक्षण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ निज सहायक,संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (स्थानीय) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश